न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 563 सन 2018

अनवान :–

1. इन्द्रपाल पुत्र राममूर्मि जाति जाट निवासी चक 1 आरपीएम तहसील नोहर।

बनाम

1. राममूर्ति पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी चक 1 आरपीएम तहसील नोहर।
2. इन्द्रपाल पुत्र राममूर्ति जाति जाट निवासी चक 1 आरपीएम तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 18.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 119/25 की कुल 3.0360हैक व रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता संख्या 97/84 की कुल 1.7710हैक भूमि जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नानूराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से उनके पुत्रों पर औद हुई जिनके द्वारा खाता विभाजन करवाने पर वाद भूमिं वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में वाद भूमि आई है विरास्तन से वादी भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने आपसी सहमति से खाता विभाजन करवा लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने आपसी सहमति से खाता विभजन कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने वादी के कथनों को स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इसलिये पैतृक सम्पत्ति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे प्रतिवीद संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है एवं वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने आपसी सहमति से भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो चुका है। इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 119/25 की कुल 3.0360हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता संख्या 97/84 की कुल 1.7710हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 अकेला खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बै के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official